**विजय सिंह उर्फ विजय कृष्ण शर्मा**

**बनाम**

**बिहार राज्य**

(2015 की दांडिक अपील सं. 1031)

25 सितंबर, 2024

**[बेला एम. त्रिवेदी तथा न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा, न्यायमूर्तिगण]**

## विचार के लिए मुद्दा

अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा 364/34 के अधीन अपराधों के किए जाने का दोषी अवधारित करने संबंधी उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की संधारणीयता के संबंध में प्रश्न उत्पन्न हुआ; साथ ही, दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में परिवर्तित करने के लिए उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, क्या स्थापित विधि के अनुरूप था।

## हेडनोट्स

**भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 302/34 तथा 364/34 – हत्या करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण – संपत्ति विवाद पर स्त्री का अपहरण तथा हत्या – उसकी मृत्यु का तथ्य, पीड़िता के सूचक तथा बहनोई द्वारा दर्ज लिखित प्रतिवेदन की अनुवर्ती में अनावृत हुआ – आरोपी सं. 1-5 की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा 364/34 के अधीन अपराधों के किए जाने की अभियुक्ति तथा दंडादेश, तथापि आरोपी सं. 6 तथा 7 की समस्त आरोपों से दोषमुक्ति – उच्च न्यायालय ने आरोपी सं. 1-5 की अभियुक्ति को बरकरार रखा, साथ ही आरोपी सं. 6 तथा 7 को भारतीय दंड संहिता की धारा 364/34 तथा 302/34 के अधीन अपराधों के किए जाने का अभियुक्त ठहराया – संधारणीयता:**

**अभिनिर्धारित:** हत्या का अपराध पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आश्रित है तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित वाद में साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए तथा दोष का अपरिहार्य निष्कर्ष प्रकट करना चाहिए – अभियोजन का वाद उस मानक को पूर्ण करने से अत्यन्त दूर है – केवल कुछ श्रृंगार सामग्री की उपस्थिति इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण नहीं हो सकती कि पीड़िता उक्त घर में निवास कर रही थी, विशेषतः जब अन्य स्त्री के वहाँ निवास करने की स्वीकृति है – घर में ऐसा कोई सामग्री किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सका जो प्रत्यक्ष रूप से संकेत करे कि मृतका तथा सूचक वहाँ निवास कर रहे थे – अभियोजन उक्त तथ्य सिद्ध करने के लिए एक भी सहनिवासी का परीक्षण करने में विफल रहा – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य मृत्यु के समय के पहलू सहित पूर्णतः अविश्वसनीय घोषित किया गया – अतः शव परीक्षण प्रतिवेदन तथा उसमें निहित निष्कर्षों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं – अभियोजन का वाद अपहरण के संबंध में स्पष्ट संदेहों से परिपूर्ण – यद्यपि शव परीक्षण प्रतिवेदन इंगित करता है कि मृतका की मृत्यु अप्राकृतिक थी तथा हत्या का किया जाना निराकृत नहीं किया जा सकता, तथापि आरोपी व्यक्तियों द्वारा हत्या किए जाने को सिद्ध करने हेतु कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं – आरोपी व्यक्तियों तथा कथित अपराध के मध्य कारण संबंध का सूत्र स्पष्ट रूप से अनुपस्थित – अपहरण के अपराध से संबंधित तथ्यों से उद्भूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जैसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य, प्रमाण के परीक्षण को पूर्ण करने में विफल तथा विधि की दृष्टि में सिद्ध नहीं कहा जा सकता – इससे आरोपी व्यक्तियों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध किए जाने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता – अभिप्रेरणा का महत्व तभी है जब अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य विचाराधीन अपराधों के अवयवों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो – आधारभूत तथ्यों के प्रमाण के अभाव में, केवल अभिप्रेरणा की उपस्थिति पर अभियोजन का वाद सफल नहीं हो सकता – अतः अभियोजन उचित संदेह से परे वाद सिद्ध करने के अपने भार का

निर्वहन करने में विफल रहा – उचित संदेह असमाधेय हैं तथा अभियोजन के वाद की नींव पर आघात करते हैं – अतिरिक्तः, आरोपी सं. 6 तथा 7 की दोषमुक्ति को परिवर्तित करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण दोषमुक्तियों के परिवर्तन से संबंधित स्थापित विधि के अनुरूप नहीं – उच्च न्यायालय ने विषय का सरसरी अवलोकन किया तथा विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण की अवैधता या विकृतता या असंभवता या विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अप्रशंसा के किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचे बिना दोषमुक्ति को परिवर्तित किया – अतः अपीलार्थियों को समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाना है – अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभिलब्ध अभियुक्ति के निष्कर्ष संधारणीय नहीं तथा अपास्त किया जाता है। [कंडिका 28-32, 34-37]

**न्यायिक अवमानना – उच्च न्यायालय का यह प्रेक्षण कि घर में प्राप्त श्रृंगार सामग्री विधवा स्त्री की नहीं हो सकती क्योंकि विधवा होने के कारण उसके लिए श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी:**

**अभिनिर्धारित:** उक्त प्रेक्षण न केवल विधिक रूप से अस्थिर अपितु अत्यधिक आपत्तिजनक – इस प्रकार का व्यापक प्रेक्षण न्यायालय से अपेक्षित संवेदनशीलता तथा तटस्थता के अनुरूप नहीं, विशेषतः जब वही अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता। [कंडिका 27]

**न्याय दृष्टान्त**

*गोवा राज्य बनाम संजय ठाकरण* **[2007] 3 एससीआर 507 : (2007) 3 एससीसी 755**; *चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य* **[2007] 2 एससीआर 630 : (2007) 4 एससीसी 415**; *नेपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य* **[2009] 6 एससीआर 982 : (2009) 12 एससीसी 351**; *काशीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य* **[2001] 4 अनुपूरक एससीआर 263 : (2002) 1 एससीसी 71**; *लाभ सिंह बनाम पंजाब राज्य* **(1976) 1 एससीसी 181**; *सुरतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य* **(1982) 1**

**एससीसी 488;** *राय साहेब एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य* **(1994) अनुपूरक.1 एससीसी 74;** *संजीव बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य* **(2022) 6 एससीसी 294 – अवलंबित।**

## अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860 ।

## मुख्य शब्दों की सूची

अपहरण; हत्या; स्त्री का अपहरण तथा हत्या; परिस्थितिजन्य साक्ष्य; साक्ष्य की श्रृंखला; दोषमुक्ति का परिवर्तन; अभिप्रेरणा; उचित संदेह से परे वाद सिद्ध करने का भार; न्यायिक अवमानना; उच्च न्यायालय का प्रेक्षण अत्यधिक आपत्तिजनक; उच्च न्यायालय का प्रेक्षण न्यायालय से अपेक्षित संवेदनशीलता तथा तटस्थता के अनुरूप नहीं।

## प्रकरण से उत्पन्न

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की दांडिक अपील सं. 1031

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दिनांक 26.03.2015 के निर्णय तथा आदेश से, 1992 के सरकारी अपील (खंड पीठ) संख्या 16 में

के साथ

2017 की दांडिक अपील सं. 1578, 765, 1579

## पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

आर. के. दास, वरीय अधिवक्ता, सुश्री फौजिया शकील, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी बरुआ, सुश्री अपर्णा सिंह, अजय कुमार सिंह, अधिवक्तागण, अपीलार्थी के लिए।

शिवम सिंह, कार्तिकेय अग्रवाल, मनीष कुमार, शांतनु सागर, अनिल कुमार, प्रभात रंजन राज, गुंजेश रंजन, शशांक कुमार सौरव, वैभव जैन, मनोनीत द्विवेदी, अधिवक्तागण, उत्तरदाता के लिए।

**माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश**

## निर्णय

**न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा**

1. 30.08.1985 को, नीलम ने सिमुलतल्ला, पुलिस थाना सिकंदरा, जिला मुंगेर, बिहार में अंतिम श्वास लिया। उसकी मृत्यु का तथ्य मृतका के सूचक तथा बहनोई, अर्थात् रमणन्द सिंह (विचारण न्यायालय[1] के समक्ष अभियोजन साक्षी 18 के रूप में परीक्षित) द्वारा दर्ज लिखित प्रतिवेदन की अनुवर्ती में अनावृत हुआ, जिसमें उसने आरोप किया कि नीलम का सात व्यक्तियों द्वारा उनके घर से अपहरण किया गया, जो घटना उक्त दिन लगभग 10:00 बजे रात्रि को घटी। इस सूचना के आधार पर, पुलिस थाना सिकंदरा में 1985 की प्राथमिकी सं. 127 दर्ज किया गया तथा अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सात आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् – कृष्ण नन्दन सिंह (आरोपी सं.1), राम नन्दन सिंह (आरोपी सं.2), राज नन्दन सिंह (आरोपी सं.3), श्याम नन्दन सिंह (आरोपी सं.4), भगवान सिंह (आरोपी सं.5), विजय सिंह (आरोपी सं.6) तथा तनिक सिंह (आरोपी सं.7) के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

2. विचारण न्यायालय ने समस्त सात आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता, 1860[2] की धारा 323, 302, 364, 449, 450, 380/34 तथा 120-बी के अधीन दंडनीय अपराधों के किए जाने हेतु आरोपित किया। तत्पश्चात, आरोपी सं. 6 तथा 7 को भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 506 सहपठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराधों के किए जाने हेतु पृथक रूप से आरोपित किया गया। विचारण उपरांत, विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.06.1992 के आदेश द्वारा आरोपी

---

1 अभियोजन साक्षी

2 आगे भारतीय दंड संहिता के रूप में संदर्भित

व्यक्तियों, जो आरोपी सं. 1, 2, 3, 4 तथा 5 के रूप में सूचीबद्ध थे, को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा 364/34 के अधीन अपराधों के किए जाने का अभियुक्त ठहराया। उन्हें अन्य समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया, तथा आरोपी सं. 6 तथा 7 को समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया।

3. अभियुक्तों ने दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा राज्य ने दो आरोपी व्यक्तियों की दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.03.2015 के सामान्य निर्णय द्वारा पाँच अभियुक्तों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा तथा आरोपी सं. 6 तथा 7 की दोषमुक्ति को अपास्त करते हुए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 364/34 तथा 302/34 के अधीन अपराधों के किए जाने का दोषी पाया। तदनुसार, आरोपी सं. 6 तथा 7 को भी अभियुक्त ठहराया गया तथा प्रत्येक आरोप पर कठोर आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया। अपीलों का वर्तमान समूह पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 26.03.2015[3] के आदेश/निर्णय को आक्षेपित करता है।

**संक्षिप्त तथ्य**

4. अनावश्यक विवरणों से पृथक, तथ्य प्रकट करते हैं कि मृतका नीलम एक अशोक कुमार की पत्नी थी, जो अभियोजन साक्षी 3/गणेश प्रसाद सिंह का पुत्र था, तथा सूचक अभियोजन साक्षी 18/रमणन्द सिंह अशोक कुमार का भ्राता था। सूचक का वाद यह था कि संबंधित समय पर, मृतका अपने पति तथा सूचक के साथ अपने दिवंगत पिता जंग बहादुर सिंह के स्वामित्व वाले घर में निवास कर रही थी, जो सिमुलतल्ला के निवासी थे। घर का एक भाग मृतका, उसके पति तथा उसके बहनोई द्वारा अधिभोग में था तथा शेष भाग किराये पर दिया गया था और उन भागों में किरायेदार निवास कर रहे थे।

3 1992 की सरकारी अपील (खंड पीठ) संख्या 16, 1992 की दांडिक अपील (खंड पीठ) सं. 219 तथा 1992 की दांडिक अपील (खंड पीठ) सं. 271 में पारित

5. अभियोजन के वादानुसार, 30.08.1985 को लगभग 10:00 बजे रात्रि, अभियोजन साक्षी 18 एक दोमन टेंटी, दासो मिस्त्री तथा सूरदास के साथ घर के बाहर एक रिक्शा पर बैठा था, तथा नीलम घर के भीतर सो रही थी। उसका पति, अशोक कुमार, अपने मूल स्थान घोघशा गया हुआ था। अचानक, सात आरोपी व्यक्ति, जिनमें हमारे समक्ष अपीलार्थी सम्मिलित हैं, उत्तर दिशा से 15 अन्य अज्ञात आक्रमणकारियों के साथ आए। आरोपी विजय सिंह/आरोपी सं.6 ने सूचक/अभियोजन साक्षी 18 को पकड़ लिया और जैसे ही उसने चेतावनी दी तथा चिल्लाना प्रारंभ किया, दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी ओर पिस्तौल तान दी तथा उसे मौन रहने का निर्देश दिया। तत्पश्चात, जिन आरोपी व्यक्तियों ने सूचक को पकड़ा था, उन्होंने उसे मुक्कों तथा थप्पड़ों से आघात किया, तथा उसे घर के उत्तर दिशा में स्थित कुएँ के समीप निरुद्ध किया। इस बीच, आरोपी सं.1 ने 5-7 अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ निवासी, अर्थात् कुमुद रंजन सिंह, द्वारा घर का कुंडा खुलवाकर घर में प्रवेश किया तथा नीलम को घर से बाहर घसीट लिया। जैसे ही उन्होंने उसे बाहर घसीटा, चार व्यक्तियों ने नीलम को उसके भुजाओं तथा पैरों से पकड़ा, उसे उठाया तथा लोहांडा की ओर चलना प्रारंभ किया। सूचक के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने बाहर जाते समय नीलम के कक्ष से दो साड़ियाँ, दो ब्लाउज, दो पेटीकोट तथा एक जोड़ी चप्पल भी उठा ली।

6. जब सूचक ने हल्ला किया, तो मोहल्ले के अन्य व्यक्ति भी एकत्र हुए, जिनमें अभियोजन साक्षी 2 विनय कुमार सिंह, अभियोजन साक्षी 4 चन्द्र शेखर प्रसाद सिंह तथा अभियोजन साक्षी 5 राम नरेश सिंह सम्मिलित थे। उक्त तीन साक्षियों ने आरोपी व्यक्तियों को नीलम को ले जाते हुए देखा, किन्तु उन्हें रोक नहीं सके। सूचक ने स्पष्ट किया कि किसी ने भी आरोपी व्यक्तियों का पीछा करने का साहस नहीं किया क्योंकि उन्होंने पिस्तौल तान दी थी तथा गंभीर परिणामों की धमकी दी थी। सूचक ने अपराध के किए जाने के अभिप्रेरणा का भी स्पष्टीकरण किया। उसके

कथन से प्रकट होता है कि नीलम के दिवंगत पिता जंग बहादुर सिंह का कोई पुत्र नहीं था तथा उसका घर उसकी पुत्री नीलम के अधिभोग में था। उसे उसके पिता के स्वामित्व वाले घर का अधिभोग बलपूर्वक प्राप्त करने के उद्देश्य से अपहरण किया गया। अभिप्रेरणा का द्वितीय पक्ष आरोपी सं.1 से 5 (अपीलार्थी) एक ओर तथा मृतका नीलम, उसके नाना तथा उसकी दो बहनों के मध्य लंबित वाद से उद्भूत होता है। आरोपी व्यक्तियों ने सक्षम न्यायालय से दिवंगत जंग बहादुर सिंह द्वारा छोड़ी गई वसीयत का प्रशासन-पत्र तथा प्रोबेट(वसीयत का प्रमाणीकरण) प्राप्त किया था तथा उक्त आदेश को मृतका, उसके मातामह तथा उसकी कनिष्ठ बहनों द्वारा पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित किया गया। उक्त अपील में, पटना उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को संपत्ति के किसी भी भाग के परित्याग से निषिद्ध किया था। उच्च न्यायालय ने वसीयत के प्रोबेट के निष्पादन को भी आरोपी व्यक्तियों को संपत्ति का अधिभोग प्रदान करने से निरुद्ध कर स्थगित किया था। अतः, मृतका नीलम अपने पिता के घर में अपने पति तथा बहनोई के साथ संपत्ति के अधिभोग को बनाए रखने के उद्देश्य से निवास कर रही थी। इस पृष्ठभूमि में, वाद विचारण हेतु गया।

**विचारण न्यायालय के समक्ष**

7. विचारण न्यायालय ने, आरोपी सं.6 तथा आरोपी सं.7 को दोषमुक्त करते हुए, यह प्रेक्षित किया कि अपराध के किए जाने के लिए आरोपित अभिप्रेरणा उक्त दो आरोपी व्यक्तियों पर आरोपणीय नहीं थी क्योंकि लंबित वाद में उनका कोई हित प्रकट नहीं किया जा सका। आगे, यह भी पाया गया कि अभियोजन साक्षी 18 द्वारा प्रदत्त मौखिक परिसाक्ष्य पर पंजीकृत प्राथमिकी में आरोपी सं.6 का नाम उल्लिखित नहीं था तथा उसके मौखिक साक्ष्य में उसके द्वारा आरोपी सं.6 तथा आरोपी सं.7 द्वारा आघात किए जाने का कोई कथन नहीं दिया गया। आगे यह अवधारित किया

गया कि विचारण के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य उद्भूत नहीं हुआ जो अपहरण के कृत्यों तथा हत्या के किए जाने में आरोपी सं.6 तथा आरोपी सं.7 की सहभागिता का संकेत करे।

8. भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा 364/34 के अधीन आरोपों पर आरोपी सं.1 से आरोपी सं.5 को अभियुक्त ठहराते हुए, विचारण न्यायालय ने मुख्यतः अभियोजन साक्षी 18/सूचक, अभियोजन साक्षी 2, अभियोजन साक्षी 4 तथा अभियोजन साक्षी 5 के मौखिक परिसाक्ष्यों पर अवलंबन किया। अपराध के किए जाने की अभिप्रेरणा दिवंगत जंग बहादुर सिंह की संपत्ति से संबंधित लंबित विधिक विवाद से प्राप्त हुई। न्यायालय ने दोष का निष्कर्ष अभिलब्ध करने हेतु अभियोजन साक्षी 7 (मृतका के मामा), अभियोजन साक्षी 3 (मृतका के श्वसुर), अभियोजन साक्षी 23 (मृतका की बहन) तथा अभियोजन साक्षी 13 (चिकित्सक) के परिसाक्ष्यों से उद्भूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी अवलंबित किया।

**उच्च न्यायालय के समक्ष**

9. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का नवीन मूल्यांकन किया। उच्च न्यायालय ने प्रथमतः इस प्रश्न का परीक्षण किया कि क्या नीलम वास्तव में उस घर में निवास कर रही थी जहाँ से उसका अपहरण किया गया। अभियोजन साक्षी 7 (मृतका के मामा), अभियोजन साक्षी 18 (मृतका के बहनोई तथा सूचक) तथा अभियोजन साक्षी 21 (अनुसंधान अधिकारी) के परिसाक्ष्यों पर अवलंबित करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नीलम वास्तव में उक्त घर में निवास कर रही थी। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने इस तथ्य को अपास्त किया कि घर के अन्य स्वतंत्र अधिभोगी जैसे राम छबीला सिंह, उसका पुत्र, कुमुद रंजन सिंह आदि उक्त तथ्य के समर्थन में नहीं आए। इस कमी को दूर करने हेतु, न्यायालय ने अभियोजन साक्षी 21 तथा अभियोजन साक्षी 23 (मृतका की बहन) के कथनों पर अवलंबित किया कि कक्ष में स्थित एक थैले में कुछ

श्रृंगार सामग्री प्राप्त हुई, जो इस तथ्य का संकेत करती थी कि उक्त कक्ष में एक स्त्री निवास कर रही थी।

10. आगे विचार में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्षी 5 के साक्ष्य को इस कारण अपवर्जित किया कि घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति संदिग्ध थी। क्योंकि अभियोजन साक्षी 5 ने सशपथ साक्ष्य दिया कि वह देवघर से अपने घर की ओर जा रहा था तथा लखीसराय से सिमुलतल्ला के मार्ग में, वह अभियोजन साक्षी 2 तथा अभियोजन साक्षी 4 के साथ सिकंदरा चौक पर रुका। इसी बिंदु पर उन्होंने हल्ला सुना तथा अपराध के किए जाने के साक्षी बने। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि देवघर से सिमुलतल्ला जाते समय लखीसराय तथा घोघशा पहले आते और अतः यदि अभियोजन साक्षी 5 घोघशा स्थित अपने घर जा रहा था तो उसके लिए सिकंदरा चौक तक आने का कोई कारण नहीं था क्योंकि वह लखीसराय से सीधे घोघशा जा सकता था। तथापि, उच्च न्यायालय ने विधिवत् अभियोजन साक्षी 2, अभियोजन साक्षी 4 तथा अभियोजन साक्षी 18 के साक्ष्य पर तथा अभियोजन साक्षी 23, अभियोजन साक्षी 13 (चिकित्सक) के परिसाक्ष्यों से युक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973[4] की धारा 313 के अधीन आरोपी व्यक्तियों के परिसाक्ष्यों में मृतका द्वारा सहन की गई घातक आघातों के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अभाव पर अवलंबित किया। अतः, उच्च न्यायालय ने आरोपी सं.1 से आरोपी सं.5 के दोष का निष्कर्ष स्थिर रखा।

11. आरोपी सं.6 तथा आरोपी सं.7 के संबंध में, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय की दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित किया। मुख्यतः, उच्च न्यायालय ने प्रेक्षित किया कि उक्त दो आरोपी व्यक्तियों को अभियोजन साक्षी 5 के दोषमुक्तिकारक परिसाक्ष्य के आधार पर दोषमुक्त किया गया था तथा चूँकि अभियोजन साक्षी 5 के परिसाक्ष्य को अपील में उच्च न्यायालय द्वारा

---

4 आगे दंड प्रक्रिया संहिता के रूप में संदर्भित

अपवर्जित किया गया, अतः इसे कायम नहीं रखा जा सकता। आगे, न्यायालय ने अवधारित किया कि अभियोजन साक्षी 2, अभियोजन साक्षी 4 तथा अभियोजन साक्षी 18 के परिसाक्ष्यों आरोपी सं.6 तथा आरोपी सं.7 की सहभागिता के संबंध में संगत थे तथा अतः उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 364 तथा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन अपराधों के किए जाने हेतु अभियुक्त ठहराया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की प्रयोज्यता इस तथ्य पर आधारित थी कि आरोपी सं.6 तथा आरोपी सं.7 ने अभियोजन साक्षी 18 को कुएँ के समीप निरुद्ध किया था ताकि अन्य पाँच आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्यों में किसी भी प्रतिरोध की संभावना का उन्मूलन किया जा सके।

**प्रस्तुतिकरण**

12. आरोपी सं.6 तथा आरोपी सं.7 की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त आरोपी व्यक्तियों के लिए विचाराधीन अपराध के किए जाने में लिप्त होने की कोई अभिप्रेरणा नहीं थी। यदि कोई अभिप्रेरणा थी भी, तो वह केवल शेष पाँच आरोपी व्यक्तियों के लिए थी जो पक्षकारों के मध्य लंबित वाद के परिणाम में हितबद्ध थे। आगे यह प्रतिपादित किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा ग्रहण किए गए दृष्टिकोण में किसी भी दोष का निष्कर्ष अभिलब्ध किए बिना उच्च न्यायालय को संपूर्ण साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के अभ्यास में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए था। इस प्रस्तुति को सुदृढ़ करने हेतु यह प्रस्तुत किया गया कि चूँकि विचारण न्यायालय द्वारा ग्रहण किया गया दृष्टिकोण एक संभाव्य दृष्टिकोण था, अतः अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में, इस न्यायालय के निर्णयों, अर्थात् *गोवा राज्य बनाम संजय ठाकरण*[5], *चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य*[6], *नेपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य*[7],

---

5 [2007] 3 एससीआर 507 : (2007) 3 एससीसी 755

6 [2007] 2 एससीआर 630 : (2007) 4 एससीसी 415

7 [2009] 6 एससीआर 982 : (2009) 12 एससीसी 351

*काशीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य*[8], *लाभ सिंह बनाम पंजाब राज्य*[9] *तथा सुरतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य* [10]पर अवलंबन किया गया।

13. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षी 2 तथा अभियोजन साक्षी 4 के परिसाक्ष्यों पर कोई अवलंबन नहीं किया जा सकता क्योंकि घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध थी। आगे, यदि वे कोलाहल उत्पन्न होने के समय 400 गज की दूरी पर थे, तो वे आरोपी सं.6 को अभियोजन साक्षी 18 को कुएँ की ओर ले जाते हुए नहीं देख सकते थे क्योंकि उक्त तथ्य कोलाहल उत्पन्न होने से पूर्व घटित हुआ। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिकी में आरोपी सं.6 को कोई पिस्तौल निर्दिष्ट नहीं की गई थी, जबकि उक्त तथ्य साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थियों ने चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर घटना के समय के संबंध में भी प्रश्न उठाया है। यह कथित किया गया कि शव परीक्षण प्रतिवेदन से यह संकेत मिलता है कि मृतका के उदर में अर्ध-पचित भोजन प्राप्त हुआ, जबकि सूचक अभियोजन साक्षी 18 ने सशपथ साक्ष्य दिया कि घटना रात्रि भोजन के तत्क्षण पश्चात घटित हुई। यदि ऐसा था, तो मृत्यु 30.08.1985-31.08.1985 की मध्यवर्ती रात्रि में लगभग 1-2 बजे घटित होनी चाहिए थी, किन्तु 31.08.1985 को लगभग शाम 05:30 बजे किए गए शव परीक्षण के आधार पर शव परीक्षण प्रतिवेदन इंगित करता है कि मृत्यु लगभग 24 घंटे पूर्व हुई थी और अतः मृत्यु का समय 30.08.1985 को लगभग शाम 05:00 बजे था न कि 10:00 बजे, जैसा आरोपित है।

14. अपीलार्थियों ने यह भी प्रस्तुत किया कि अभियोजन ने यह सिद्ध नहीं किया कि मृतका वास्तव में सिमुलतल्ला स्थित संबंधित घर में निवास कर रही थी।

---

8 [2001] 4 अनुपूरक एससीआर 263 : (2002) 1 एससीसी 71

9 (1976) 1 एससीसी 181

10 (1982) 1 एससीसी 488

15. इसके विपरीत, राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि कुछ स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण न किया जाना अभियोजन के वाद के लिए घातक नहीं होगा। इस न्यायालय के निर्णय ***राय साहेब एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य***[1] पर अवलंबन किया गया यह प्रतिपादित करने हेतु कि कभी-कभी भय के कारण स्वतंत्र साक्षी आगे नहीं आते। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आरोपी व्यक्तियों के दोष के निष्कर्ष तक पहुँचने हेतु उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का सम्यक् मूल्यांकन किया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षी 2, अभियोजन साक्षी 4 तथा अभियोजन साक्षी 18 के परिसाक्ष्य संगत हैं तथा उच्च न्यायालय ने उनके परिसाक्ष्यों पर सम्यक् अवलंबन किया है। अभिप्रेरणा के संबंध में भी यह प्रस्तुत किया गया कि अपराध के किए जाने की अभिप्रेरणा को प्रकट करने हेतु साक्ष्य पर्याप्त है।

16. हमने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। हमने अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है।

**चर्चा**

17. पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी प्रतिपादनों के प्रकाश में, न्यायालय के समक्ष उत्पन्न प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में उच्च न्यायालय द्वारा अभिलब्ध अपीलार्थियों के दोष का निष्कर्ष संधारणीय है। इस प्रश्न के परिणामस्वरूप यह भी परीक्षण अपेक्षित है कि क्या दांडिक अपील में दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में परिवर्तित करने के लिए उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्थापित विधि के अनुरूप था।

18. विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के समक्ष दो चरणों की वाद-प्रक्रिया के पश्चात, यह पर्याप्त रूप से सुनिश्चित है कि वाद का परीक्षण केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 364 तथा

---

11(1994) अनुपूरक.1 एससीसी 74

302 सहपठित धारा 34 के अधीन अपराधों के संबंध में किया जाना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध के संबंध में, अभियोजन का वाद प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य पर आधारित है, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के संबंध में, अभियोजन का वाद मूलतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि हत्या के किए जाने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य संकलित नहीं किया जा सका। तथापि, यह स्पष्ट है कि हत्या का अपराध अपहरण के अपराध के किए जाने के पश्चात किया गया। दोनों अपराधों के मध्य क्रमिक संबंध है और अतः हत्या के अपराध के किए जाने का वाद स्थापित करने के लिए आरोपी व्यक्तियों/अपीलार्थियों द्वारा अपहरण के अपराध के किए जाने को सिद्ध करना आवश्यक है। क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित वाद में श्रृंखला पूर्ण तथा संगत होनी चाहिए।

19. भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध को सिद्ध करने हेतु, अभियोजन ने चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों – अभियोजन साक्षी 2, अभियोजन साक्षी 4, अभियोजन साक्षी 5 तथा अभियोजन साक्षी 18 के मौखिक परिसाक्ष्यों पर अवलंबन किया है। उनके परिसाक्ष्यों को विभिन्न आधारों पर आक्षेपित किया गया है। अपीलार्थियों ने उक्त साक्षियों को हितबद्ध साक्षी तथा संयोगवश साक्षी अभिहित किया है। प्रथम आरोप इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि साक्षी मृतका से संबंध रखते थे, तथा द्वितीय आरोप इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि साक्षियों के पास अपराध स्थल पर उपस्थित होने का कोई कारण नहीं था और वे केवल संयोगवश अप्रत्याशित रूप से उपस्थित हुए। आइए दोनों पहलुओं का परीक्षण करें। हम प्रथम दृष्टया साक्षियों के परिसाक्ष्यों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण कर सकते हैं, मृतका से उनके संबंध में प्रविष्ट हुए बिना।

20. सूचक अभियोजन साक्षी 18 ने सशपथ साक्ष्य दिया कि वह अपने घर के बाहर एक रिक्शा के समीप खड़ा था तथा मृतका घर के भीतर सो रही थी। अभियोजन साक्षी 18 तीन स्वतंत्र व्यक्तियों, अर्थात् दोमन टेंटी, दासो मिस्त्री तथा सूरदास के साथ खड़ा था। सात आरोपी व्यक्ति 15

अन्य व्यक्तियों के साथ आए। आरोपी सं.6 तथा आरोपी सं.7, अज्ञात व्यक्तियों के साथ, पहले अभियोजन साक्षी 18 के पास आए तथा उसे कुएँ की ओर ले जाकर वहाँ निरुद्ध किया। तत्पश्चात, शेष आरोपी व्यक्ति, अन्य अज्ञात आक्रमणकारियों के साथ, घर में प्रवेश किए जहाँ मृतका सो रही थी। रोचक रूप से, सूचक के संस्करण के अनुसार, घर भीतर से बंद था तथा एक किरायेदार, अर्थात् कुमुद रंजन सिंह, द्वारा खोला गया। सूचक के संस्करण की समस्या इसी बिंदु से प्रारंभ होती है। उसके संस्करण के अनुसार, घटना के प्रथम प्रत्यक्षदर्शी दोमन टेंटी, दासो मिस्त्री, सूरदास तथा कुमुद रंजन सिंह होने चाहिए थे। एक व्यक्ति, अर्थात् सूरदास, को दृष्टिहीन कहा गया तथा अतः उसे अपवर्जित किया जा सकता है। तथापि, अभियोजन को घटना के तीन सहज साक्षियों, अर्थात् दोमन टेंटी, दासो मिस्त्री तथा कुमुद रंजन सिंह का परीक्षण करना चाहिए था। सहज प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अपरीक्षण का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उसका संस्करण और अधिक संदिग्ध हो जाता है जब इसे उसके इस कथन के प्रकाश में परखा जाता है कि वह आरोपी व्यक्तियों को रोक नहीं सका क्योंकि आरोपी सं.6 ने उसे पिस्तौल से धमकी दी थी। प्राथमिकी में आरोपी सं.6 को कोई पिस्तौल आरोपित नहीं की गई है, जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेखित कथन में यह तथ्य प्रथम बार प्रस्तुत किया गया, जो सुधार का संकेत करता है। अतिरिक्तः, अभियोजन साक्षी 18 ने प्राथमिकी में यह अभिलेखित कराया कि आरोपी सं.6 तथा अन्य ने उसे मुक्कों तथा थप्पड़ों से आघात किया, किन्तु मुख्य परीक्षण में उसने उक्त तथ्य के संबंध में सशपथ साक्ष्य नहीं दिया। यह विसंगति अधिक गंभीर हो जाती है इस तथ्य के प्रकाश में कि किसी भी आरोपी व्यक्ति से कोई पिस्तौल बरामद नहीं की गई है तथा यदि पिस्तौल प्रदर्शित किए जाने का तथ्य संदेह के अधीन है, तो अभियोजन साक्षी 18 का संपूर्ण आचरण संदिग्ध तथा अप्राकृतिक हो जाता है, क्योंकि वह मृतका का बहनोई था तथा उसने

आरोपी व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश करने से या मृतका का अपहरण करने से या मृतका को अपने कंधों पर ले जाने से अपने समक्ष रोकने का प्रयास नहीं किया।

21. अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अभियोजन साक्षी 2, अभियोजन साक्षी 4 तथा अभियोजन साक्षी 5 ने अभियोजन के पक्ष में सामूहिक रूप से सशपथ साक्ष्य दिया क्योंकि वे एक साथ अपराध स्थल पर पहुँचे थे। उक्त रात्रि लगभग 10:00 बजे, उक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सिकंदरा चौक पर उपस्थित थे तथा उन्होंने मृतका के घर पर कुछ कोलाहल सुना। साक्षी लखीसराय से एक जीप में साथ आ रहे थे तथा अपने गाँव घोघशा की ओर जा रहे थे, जो वह गाँव था जहाँ मृतका का विवाह हुआ था तथा जो अभियोजन साक्षी 18/सूचक का मूल गाँव भी था। अभियोजन साक्षी 2 अभियोजन साक्षी 4 का चालक था। उक्त अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य से स्पष्ट है कि लखीसराय से सिकंदरा चौक आते समय पहले घोघशा आता है, तत्पश्चात लोहांडा तथा सिमुलतल्ला। ऐसी परिस्थितियों में, रात्रि 10:00 बजे सिकंदरा चौक पर उनकी उपस्थिति न्यायालय की संतुष्टि हेतु स्पष्टीकृत की जानी चाहिए। क्योंकि यदि वे अपने गाँव जा रहे थे, तो उनके लिए सिमुलतल्ला आने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि वह उनके मार्ग में नहीं पड़ता था। किन्तु अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से ऐसा कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता।

22. रोचक रूप से, इस कमी का संज्ञान उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्षी 5 के संबंध में विधिवत् लिया क्योंकि घटना के समय सिकंदरा चौक पर उसकी उपस्थिति का कोई कारण नहीं था तथा उसका परिसाक्ष्य अपवर्जित किया गया। तथापि, वही तर्क अभियोजन साक्षी 4 के परिसाक्ष्य पर विस्तारित नहीं किया गया, क्योंकि घटना की तिथि को रात्रि 10:00 बजे सिकंदरा चौक पर उसकी उपस्थिति भी समान रूप से अप्रत्याशित थी। अपने गाँव जाने हेतु सिकंदरा चौक जाना आवश्यक नहीं था। अन्यथा भी, चूँकि तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अपने स्वयं के संस्करण के अनुसार समान स्थिति में थे, एक साक्षी के परिसाक्ष्य का अपवर्जन स्वाभाविक रूप से अन्य दो

साक्षियों के परिसाक्ष्यों पर संदेह उत्पन्न करना चाहिए था जब तक कि उनके पास बेहतर स्पष्टीकरण न हो। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया तथा आक्षेपित निर्णय इसके लिए कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता। उनके स्वयं के परिसाक्ष्यों के प्रकाश में, तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से किसी को भी अपने गाँव जाने हेतु सिकंदरा चौक या सिमुलतल्ला जाने की आवश्यकता नहीं थी।

23. प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के प्रकाश में भी अप्रमाण्य हैं। अभियोजन साक्षी 21 वाद में अनुसंधान अधिकारी था तथा उसने उपर्युक्त अभियोजन साक्षियों का घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में परीक्षण किया था। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत संस्करण गंभीर संदेह उत्पन्न करता है जब इसे बचाव साक्षी 3 तथा बचाव साक्षी 4 के परिसाक्ष्यों के प्रकाश में परखा जाता है, जो क्रमशः संबंधित उप पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक थे, जिन्होंने वर्तमान वाद के अनुसंधान का पर्यवेक्षण किया था। दोनों अधिकारियों का परीक्षण अपीलार्थियों की ओर से बचाव साक्षी के रूप में किया गया। अनुसंधान के दौरान बचाव साक्षी 3 द्वारा तैयार पर्यवेक्षण टिप्पणियों के अनुसार, अभियोजन साक्षी 2 तथा अभियोजन साक्षी 4 को घटना के विषय में जानकारी केवल तब हुई जब अभियोजन साक्षी 18 घटना के पश्चात उनके पास दौड़ता हुआ आया। उस समय अभियोजन साक्षी 2 उमेश सिंह के साथ एक होटल में प्रसाद लेने बैठा था। इसी प्रकार, बचाव साक्षी 4 का परिसाक्ष्य इंगित करता है कि घटना की तिथि को लगभग 10:00 बजे रात्रि, अभियोजन साक्षी 4 अपनी जीप में लखीसराय से आ रहा था तथा उसने छह-सात व्यक्तियों को एक जीप में भागते हुए देखा और उन्हें आरोपी व्यक्तियों के रूप में पहचाना। अतः, अभियोजन साक्षी 4 अपराध के किए जाने के पश्चात स्थल पर पहुँचा तथा उसने अपहरण का कृत्य नहीं देखा। अभियोजन साक्षी 2 ने सशपथ साक्ष्य दिया कि घटना के पश्चात जब वे अभियोजन साक्षी 18 के साथ पुलिस थाना पहुँचे, तब न तो उसने और न ही अभियोजन

साक्षी 4 ने अनुसंधान अधिकारी को यह सूचित किया कि उन्होंने घटना को प्रत्यक्षतः देखा था। अभियोजन साक्षी 21 तथा बचाव साक्षी 3/बचाव साक्षी 4 द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों के मध्य स्पष्ट भिन्नता अभियोजन साक्षी 21 द्वारा संचालित अनुसंधान की निष्पक्षता के संबंध में गंभीर चिंता उत्पन्न करती है तथा यह एक युक्तिसंगत संभावना है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को अभेद्य वाद निर्मित करने हेतु सम्मिलित किया गया। बचाव साक्षी 3 तथा बचाव साक्षी 4, दोनों वरीय अधिकारी जिन्होंने अभियोजन साक्षी 21 द्वारा संचालित अनुसंधान का पर्यवेक्षण किया, के परिसाक्ष्य से संकेत मिलता है कि तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी वास्तव में घटना के पश्चात सहायक थे न कि घटना के समय सहायक।

24. प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य के विरुद्ध आपत्ति का द्वितीय पक्ष यह है कि कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तथ्य का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सामान्यतः, केवल इस आधार पर कि साक्षी मृतका से परिचित थे या उसके परिवार से संबंधित थे, उनके परिसाक्ष्य को खारिज करने का कोई विधिक नियम नहीं है। क्योंकि अपराध ऐसी परिस्थितियों में घटित हो सकता है कि सामान्य क्रम में केवल परिवार के सदस्य ही घटना स्थल पर उपस्थित हों। तथापि, वर्तमान वाद ऐसी श्रेणी में नहीं आता। वर्तमान वाद के तथ्यों में, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की घटना स्थल पर स्वाभाविक उपस्थिति गंभीर संदेह के अधीन है, जैसा कि उपर्युक्त विवेचित है, तथा अस्पष्टीकृत कारणों से स्वाभाविक रूप से उपस्थित लोक व्यक्तियों का वाद में साक्षी के रूप में परीक्षण नहीं किया गया। दोमन टेंटी, दासो मिस्त्री, सूरदास, कुमुद रंजन सिंह तथा अन्य अनेक पड़ोसी, जो स्वीकारतः अपराध को देखने हेतु अपने घरों से बाहर आए थे, जैसे सहज साक्षियों के अपरीक्षण के साथ-साथ यह तथ्य कि प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति का स्पष्टीकरण देने में विफल रहे, अभियोजन के संपूर्ण संस्करण को अप्रत्याशित तथा अविश्वसनीय बना देता है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, परिवार के सदस्य होने के कारण, स्पष्टतः अभियोजन साक्षी 18

द्वारा संपर्क किए गए, जिसने उन्हें घटना के संबंध में सूचित किया, तथा तत्पश्चात वाद को विश्वसनीय बनाने हेतु उनके संस्करण गढ़े गए। उल्लेखनीय है कि जब हितबद्ध साक्षियों द्वारा प्रस्तुत संस्करण संदेह में आता है, तो सावधानी का सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि स्वतंत्र लोक साक्षियों का परीक्षण किया जाए तथा पुष्टिकारी सामग्री संकलित की जाए। विशेषतः जब लोक साक्षी सहज उपलब्ध थे तथा अपराध बंद दीवारों की परिधि के भीतर घटित नहीं हुआ था।

25. विशेषतः, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का आचरण भी अप्राकृतिक प्रतीत होता है, यह देखते हुए कि वे सभी मृतका के संबंधी थे। प्रथम, अभियोजन साक्षी 18 ने अपहरण को रोकने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि यह मान भी लिया जाए कि उसे पिस्तौल के अधीन रोका गया था, तथापि पिस्तौल के अस्तित्व के संबंध में कथन पुलिस को दी गई उसकी प्रथम सूचना से सुधार के रूप में आता है, जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है। तथापि, यह स्वीकार है कि अभियोजन साक्षी 2, अभियोजन साक्षी 4 तथा अभियोजन साक्षी 5 एक जीप में आए तथा उन्होंने आरोपी व्यक्तियों को नीलम का अपहरण करने के पश्चात उसे ले जाते हुए देखा। यह भी स्वीकार है कि उन्होंने आरोपी व्यक्तियों की पहचान की, जो मूलतः प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के संबंधी थे। ऐसी परिस्थितियों में, सामान्य मानव आचरण के अनुसार, न्यूनतम जो वे कर सकते थे वह यह था कि वे अपनी जीप में आरोपी व्यक्तियों का पीछा करते। उनके पास एक तत्पर वाहन उपलब्ध था। इसके बावजूद, उनकी ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया, यहाँ तक कि नीलम का मृत शरीर भी अगले प्रातःकाल तक अनावृत नहीं हुआ क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को यह ज्ञात नहीं था कि आरोपी व्यक्तियों ने अपहरण के पश्चात मृतका को कहाँ ले जाया।

26. वर्तमान वाद में एक महत्वपूर्ण आधारभूत तथ्य यह है कि मृतका सिमुलतल्ला स्थित अपने पिता के घर में निवास कर रही थी। यद्यपि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने उक्त तथ्य पर संदेह नहीं किया, तथापि हमारे उसके संबंध में अपने विचार हैं। अभियोजन साक्षी 18 (सूचक), अभियोजन साक्षी 23 (मृतका की बहन) तथा अभियोजन साक्षी 7 (मृतका के मामा) के कथनों के अतिरिक्त, किसी अन्य साक्षी ने निवास के तथ्य को सिद्ध करने हेतु सशपथ साक्ष्य नहीं दिया। अभिलेख पर स्वीकृत साक्ष्य पर्याप्त रूप से इंगित करता है कि उसी घर में अन्य अनेक किरायेदार भी निवास कर रहे थे, जिनमें कुमुद रंजन सिंह, शिक्षा पदाधिकारी राम छबीला सिंह अपनी पुत्री तथा पुत्र के साथ सम्मिलित थे।

27. अनुसंधान अधिकारी अभियोजन साक्षी 21 ने घर का निरीक्षण किया था तथा कुछ श्रृंगार सामग्री के अतिरिक्त ऐसा कोई प्रत्यक्ष सामग्री संकलित नहीं किया जा सका जिससे यह संकेत मिले कि नीलम वास्तव में वहाँ निवास कर रही थी। स्वीकारतः, एक अन्य स्त्री, अर्थात् चंदो देवी (राम छबीला सिंह की बहन) भी उसी भाग में निवास कर रही थी। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लिया, किन्तु यह कहते हुए उसे निरस्त कर दिया कि चूँकि चंदो देवी विधवा थी, अतः श्रृंगार सामग्री उसकी नहीं हो सकती क्योंकि विधवा होने के कारण उसे श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे मत में, उच्च न्यायालय का यह प्रेक्षण न केवल विधिक रूप से अस्थिर है अपितु अत्यधिक आपत्तिजनक भी है। इस प्रकार का व्यापक प्रेक्षण न्यायालय से अपेक्षित संवेदनशीलता तथा तटस्थता के अनुरूप नहीं है, विशेषतः जब वही अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता।

28. यद्यपि ऐसा हो, तथापि कुछ श्रृंगार सामग्री की मात्र उपस्थिति इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण नहीं हो सकती कि मृतका उक्त घर में निवास कर रही थी, विशेषतः जब एक अन्य स्त्री स्वीकारतः वहाँ निवास कर रही थी। अतिरिक्ततः, यदि नीलम वास्तव में वहाँ निवास कर रही

थी, तो उसके अन्य सामान जैसे वस्त्र आदि घर में प्राप्त होने चाहिए थे और यदि ऐसा नहीं भी हो, तो उसी घर के अन्य निवासी उक्त तथ्य के समर्थन में सशपथ साक्ष्य देने हेतु आगे आ सकते थे।

29. उल्लेखनीय है कि कुछ वस्त्र जैसे दो साड़ियाँ, दो ब्लाउज तथा दो पेटीकोट मृतका के मृत शरीर के साथ बरामद किए गए। अभियोजन का संस्करण है कि आरोपी व्यक्तियों ने अपहरण करते समय उक्त वस्त्र मृतका के घर से साथ ले लिए। आरोपी व्यक्तियों के उक्त आचरण के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। यह समझना कठिन है कि आरोपी व्यक्तियों ने उसका अपहरण करते समय उसके वस्त्र साथ क्यों लिए होंगे। इसके विपरीत, यह तथ्य वास्तव में अभियोजन के वाद की सहायता करता है यह सिद्ध करने में कि मृतका वास्तव में सिमुलतल्ला स्थित घर में निवास कर रही थी। प्रतीत होता है कि उक्त वस्त्र मृत शरीर के साथ इस उद्देश्य से रखे गए कि सिमुलतल्ला स्थित उसके पिता के घर में मृतका के वास्तविक निवास के तथ्य का समर्थन किया जा सके। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जंग बहादुर सिंह के घर में ऐसा कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुआ जिससे प्रत्यक्ष रूप से यह संकेत मिले कि मृतका वहाँ निवास कर रही थी। श्रृंगार सामग्री को मृतका से पूर्णतः अस्वीकार्य तर्क के आधार पर तथा बिना किसी पुष्टिकारी सामग्री के जोड़ा गया। अभियोजन उक्त तथ्य सिद्ध करने हेतु एक भी सहनिवासी का परीक्षण करने में विफल रहा। अतिरिक्ततः, मृतका की कोई भी व्यक्तिगत वस्तु जैसे वस्त्र, पादत्राण, बर्तन आदि संपूर्ण घर में कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। अतः, हम यह मानने के लिए प्रवृत्त नहीं हैं कि मृतका वास्तव में सिमुलतल्ला स्थित घर में निवास कर रही थी। उसी संदर्भ में, हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि अभियोजन साक्षी 18 के संबंध में भी उक्त घर में ऐसा कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह संकेत मिले कि वह वास्तव में वहाँ निवास कर रहा था। उसके अपने कथन के अतिरिक्त, कोई भी साक्षी आगे आकर यह सशपथ

साक्ष्य देने नहीं आया कि सूचक उक्त घर का निवासी था। अभियोजन संपूर्ण घर में ऐसा कोई कक्ष इंगित नहीं कर सका जहाँ अभियोजन साक्षी 18 निवास कर रहा था और अतः घटना स्थल पर उसकी स्वयं की उपस्थिति भी संदिग्ध है।

30. अपीलार्थियों ने मृत्यु के समय के संबंध में भी कुछ आपत्तियाँ उठाई हैं। उक्त विसंगति को 31.08.1985 को लगभग शाम 5:30 बजे किए गए शव परीक्षण पर आधारित शव परीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में चिह्नित किया गया है, जो इंगित करता है कि मृत्यु लगभग 24 घंटे पूर्व हुई थी। इससे यह संकेत मिलता है कि मृत्यु का समय 30.08.1985 को लगभग शाम 5:00 बजे होना चाहिए था, जो अभियोजन साक्षी 18 के परिसाक्ष्य के विपरीत है कि घटना 30.08.1985 को लगभग शाम 10:00 बजे घटी। शव परीक्षण प्रतिवेदन सामान्यतः मृत्यु के कारण, मृत्यु के समय आदि के संबंध में उसमें उल्लिखित तथ्यों का निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जाता। उसे सदैव अभिलेख पर उपलब्ध अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य से पुष्ट किया जा सकता है। तथापि, जब अभिलेख पर ऐसा कोई अन्य विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो प्रतिवेदन का खंडन करे, तब शव परीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों को सामान्यतः सत्य माना जाता है। वर्तमान प्रकरण में, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य को मृत्यु के समय के पहलू सहित पूर्णतः अविश्वसनीय घोषित किया गया है। अतः, शव परीक्षण प्रतिवेदन तथा उसमें अभिलिखित निष्कर्षों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

31. इस चरण पर, हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि आरोपी सं.6 तथा आरोपी सं.7 की दोषमुक्ति को परिवर्तित करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण दोषमुक्तियों के परिवर्तन से संबंधित स्थापित विधि के अनुरूप नहीं था। विचारण न्यायालय ने उक्त दो आरोपी व्यक्तियों को साक्ष्य के सम्यक् मूल्यांकन के आधार पर दोषमुक्त किया था और उच्च न्यायालय ने मात्र यह प्रेक्षित किया कि उनकी दोषमुक्ति अभियोजन साक्षी 5 के अप्रत्याशित कथन पर आधारित थी और चूँकि

अभियोजन साक्षी 5 का साक्ष्य अभिलेख से अपवर्जित हो गया, अतः आरोपी सं.6 तथा आरोपी सं.7 की दोषमुक्ति के लिए कोई कारण शेष नहीं रहा। विशेषतः, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में विचारण न्यायालय के मत में किसी अवैधता या विकृतता का कोई निष्कर्ष अभिलब्ध नहीं किया। अतिरिक्ततः, शेष आरोपी व्यक्तियों के साथ सामान्य आशय के क्षेत्र में उक्त दो आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता का कोई सकारात्मक निष्कर्ष भी अभिलब्ध नहीं किया। समान रूप से, अभियोजन साक्षी 5 के साक्ष्य के अपवर्जन के पश्चात यह स्पष्ट किए बिना कि अभियोजन साक्षी 2 तथा अभियोजन साक्षी 4 के साक्ष्य को उसी प्रकार अपवर्जित क्यों नहीं किया गया, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अशुद्ध तथा त्रुटिपूर्ण था।

32. हम यह कहना अभिप्रेत नहीं करते कि अपीलीय शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता था। निस्संदेह, उच्च न्यायालय ऐसा करने की अपनी शक्तियों के अंतगर्त था। तथापि, दोषमुक्ति के निष्कर्ष को परिवर्तित करने के लिए उच्चतर मानदंड अपेक्षित है। क्योंकि विचारण के संपूर्ण चरण में आरोपी के पक्ष में कार्यरत निर्दोषता की उपधारणा विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निष्कर्ष के साथ सुदृढ़ हो जाती है। अतः, केवल इस कारण से कि वैकल्पिक दृष्टिकोण की संभावना विद्यमान थी, ऐसे निष्कर्ष को परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। बल्कि, विचारण न्यायालय द्वारा ग्रहण किया गया दृष्टिकोण पूर्णतः असंधारणीय तथा संभाव्य दृष्टिकोण न होना सिद्ध किया जाना चाहिए। आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय ने विषय का सरसरी अवलोकन किया तथा विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण में किसी अवैधता या विकृतता या असंभवता या विचारण न्यायालय के साक्ष्य के अनदेखी का कोई निष्कर्ष अभिलब्ध किए बिना आरोपी सं.6 तथा आरोपी सं.7 की दोषमुक्ति को परिवर्तित किया।

33. हम इस संदर्भ में ***संजीव बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य***[12] के निर्णय में विधि के प्रतिपादन का उपयोगी संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने इस विषय पर स्थिति का सार प्रस्तुत किया तथा निम्नानुसार प्रेक्षित किया:

> *"7. यह सुस्थापित है कि:*
>
> *7.1. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का विचार करते समय, वे कारण जिनके आधार पर विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त किया, उनका परीक्षण किया जाना चाहिए, यदि अपीलीय न्यायालय का यह मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त दोषमुक्ति को परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है (देखें* ***विजय मोहन सिंह बनाम कर्नाटक राज्य***[13] **,** ***अनवर अली बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य***[14]*)।*
>
> *7.2. विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश के साथ, दांडिक प्रकरण में निर्दोषता की सामान्य उपधारणा सुदृढ़ हो जाती है (देखें* ***एटली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य***[15]*)।*
>
> *7.3. यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से दो दृष्टिकोण संभव हों, तो अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप करने में अत्यंत धीमा होना चाहिए (देखें* ***सम्बासिवन बनाम केरल राज्य*** [16]*)।"*

34. यह प्रेक्षित करने के पश्चात कि अपहरण के अपराध के संबंध में अभियोजन का वाद स्पष्ट संदेहों से परिपूर्ण है, हम संक्षेप में उल्लेख तथा पुनरुक्ति कर सकते हैं कि हत्या का अपराध पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आश्रित है। यद्यपि, शव परीक्षण प्रतिवेदन इंगित करता है कि मृतका

---

12 (2022) 6 एससीसी 294

13 (2019) 5 एससीसी 436

14 (2020) 10 एससीसी 166

15 ए.आई.आर. 1955 सर्वोच्च न्यायालय 807

16 [1998] 3 एससीआर 280 : (1998) 5 एससीसी 412

की मृत्यु अप्राकृतिक थी तथा हत्या का किया जाना निराकृत नहीं किया जा सकता। किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जिससे आरोपी व्यक्तियों द्वारा हत्या किए जाने को सिद्ध किया जा सके। आरोपी व्यक्तियों तथा कथित अपराध के मध्य कारण संबंध का सूत्र स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। अपहरण के अपराध से संबंधित तथ्यों से उद्भूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जैसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य, प्रमाण के परीक्षण को पूर्ण करने में विफल रहे हैं तथा विधि की दृष्टि में सिद्ध नहीं कहे जा सकते। अतः, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की आधारशिला के पतित हो जाने पर, उससे आरोपी व्यक्तियों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध किए जाने का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह स्थापित विधि है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित वाद में साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए तथा दोष का अपरिहार्य निष्कर्ष प्रकट करना चाहिए। वर्तमान वाद में, अभियोजन का वाद उस मानक को पूर्ण करने से अत्यंत दूर है।

35. अभिप्रेरणा के संबंध में, इतना कहना पर्याप्त है कि अभिप्रेरणा का महत्व तभी है जब अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य विचाराधीन अपराधों के अवयवों को सिद्ध करने हेतु पर्याप्त हो। आधारभूत तथ्यों के प्रमाण के अभाव में, केवल अभिप्रेरणा की उपस्थिति पर अभियोजन का वाद सफल नहीं हो सकता। अतिरिक्तः, वर्तमान प्रकरण में अभिप्रेरणा दोनों पक्षों पर लागू हो सकती है। आरोपी व्यक्ति तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एक ही परिवार से संबंधित हैं तथा संपत्ति संबंधी विवाद की उपस्थिति स्पष्ट है। काल्पनिक रूप से, दोनों पक्ष एक-दूसरे को फँसाने से लाभान्वित हो सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में, केवल अभिप्रेरणा पर अवलंबन दोधारी तलवार सिद्ध हो सकता है। हम इससे अधिक कुछ नहीं कहते।

36. उपर्युक्त विश्लेषण इंगित करता है कि अभियोजन उचित संदेह से परे वाद सिद्ध करने के अपने भार का निर्वहन करने में विफल रहा है। उपर्युक्त रूप से इंगित युक्तिसंगत संदेह असमाधेय हैं

तथा अभियोजन के वाद की नींव पर आघात करते हैं। अतः, अपीलार्थी समस्त आरोपों से दोषमुक्त किए जाने के अधिकारी हैं।

37. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभिलब्ध दोषसिद्धि के निष्कर्ष संधारणीय नहीं हैं। अतिरिक्ततः, उच्च न्यायालय ने आरोपी सं.6 तथा आरोपी सं.7 की दोषमुक्ति को परिवर्तित करने में त्रुटि की। तदनुसार, आक्षेपित निर्णय तथा विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय (आरोपी सं.1 से आरोपी सं.5 की दोषसिद्धि की सीमा तक) अपास्त किए जाते हैं, तथा समस्त सात आरोपी व्यक्ति (अपीलार्थी) उन पर आरोपित समस्त आरोपों से दोषमुक्त किए जाते हैं। अपीलार्थियों को, यदि अभिरक्षा में हों, तो तत्काल मुक्त किए जाने का निर्देश दिया जाता है।

38. उक्त शीर्षकित अपीलें इस निर्णय के अनुसार निस्तारित की जाती हैं। अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, भी निस्तारित माने जाएंगे। कोई व्यय नहीं।

*वाद का परिणामः* अपीलें निस्तारित।

*†जिनके द्वारा हेडनोट्स तैयार किया गया* :निधि जैन

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**